भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3072

27.03.2025 को उत्तर के लिए

भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2023

3072. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईएसएफआर, 2023 में वन क्षेत्र में वृद्धि के आकलन में वृक्षारोपण और प्राकृतिक वनों के बीच अंतर नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार प्राकृतिक वनों, वाणिज्यिक वृक्षारोपण और शहरी वृक्षारोपण के बीच अंतर करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली को संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(ग) मध्यम घने वनों और झाड़ीदार क्षेत्रों में कमी आने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन वनों के और अधिक नुकसान को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या यह रिपोर्ट दर्शाती है कि दर्ज वन क्षेत्रों के बाहर अत्यंत सघन वनों में कमी आई है, जो गैर-संरक्षित क्षेत्रों में वृक्षाच्छादन में कमी का संकेत है, यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वनों जहाँ वनाच्छादन में कमी आई है, को कानूनी सुरक्षा और संरक्षण योजनाओं के तहत लाने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, द्विवार्षिक आधार पर देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। वन आवरण का आकलन रिमोट सेंसिंग पर आधारित संपूर्ण क्षेत्र के मानचित्रण की एक प्रक्रिया है जो गहन जमीनी सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्र डेटा द्वारा समर्थित है।

आईएसएफआर की तैयारी के लिए वन आवरण के मानचित्रण में सभी प्रकार की भूमि को शामिल किया जाता है, चाहे उनका स्वामित्व, भूमि उपयोग या कानूनी स्थिति कुछ भी हो। वन आवरण के आकलन के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति निर्णय 19/पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) 9-क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों पर आधारित है। तदनुसार, वन आवरण के आकलन में 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली और 10% से अधिक वितान वाली सभी भूमि को शामिल किया जाता है, चाहे स्वामित्व और कानूनी स्थिति कुछ भी हो।

(ख): आईएसएफआर (भारत वन स्थिति रिपोर्ट) में उपयोग की जाने वाली पद्धति देश के वन क्षेत्र का आकलन करने के लिए उपग्रह चित्र से प्राप्त डेटा पर आधारित है। वर्ष 1987 की पहली रिपोर्ट में 1:1 मिलियन पैमाने पर 80 मीटर के स्थानिक रिज़ॉल्यूशन वाले लैंडसैट-एमएसएस उपग्रह डेटा का इस्तेमाल किया गया था, जबकि नवीनतम रिपोर्ट अर्थात् आईएसएफआर 2023 का आकलन 1:50,000 के पैमाने पर 23.5 मीटर के स्थानिक रिज़ॉल्यूशन वाले रिसोर्ससैट-2 एलआईएसएस III उपग्रह छवियों पर आधारित है। कार्यपद्धति में यह सुधार पूरी तरह से बेहतर रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह डेटा के आधार पर हुआ है। एफएसआई ने हमेशा प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखा है और पिछले कुछ वर्षों में अपने आकलन में सुधार किया है।

(ग): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करता है, जिनमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, नगर वन योजना (एनवीवाई), तटरेखा पर्यावासों एवं ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) और प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) शामिल हैं। इन निधियों से वन क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर वनरोपण, वन भू-परिदृश्य की बहाली, पर्यावास सुधार, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों एवं सुरक्षा आदि के माध्यम से पारिस्थितिकी बहाली के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है।

वन आवरण का आकलन तीन श्रेणियों में किया जाता है, नामत: बहुत घने वन (वीडीएफ), मध्यम घने वन (एमडीएफ) और खुले वन (ओएफ)। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, वन आवरण में परिवर्तन संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि आईएसएफआर 2021 की तुलना में बहुत घने वन में 2367.62 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि हुई है। आईएसएफआर 2021 और आईएसएफआर 2023 के बीच मध्यम घने वन में परिवर्तन का कारण सघनता वर्गों में उन्हें एमडीएफ से वीडीएफ श्रेणी में ऊपर लाना और एमडीएफ से ओएफ में भी परिवर्तित किया जाना है। इसी तरह, झाड़ियों में कमी उनके अधिक सघन श्रेणी के अंतर्गत आने और गैर-वन के रूप में रूपांतरित होने के कारण हुई है। हालांकि, आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश के कुल वन क्षेत्र में वर्ष 2021 के विगत आकलन की तुलना में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

(घ): आईएसएफआर 2023 के अनुसार, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया (आरएफए) के बाहर अति सघन वनों में 63.88 वर्ग किलोमीटर (0.55%) की कमी आई है। हालाँकि, आईएसएफआर 2021 की तुलना में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया/ग्रीन वॉश के बाहर कुल वन क्षेत्र में कुल मिलाकर 149.13 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी तंत्र उपलब्ध हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 और राज्यों के वन अधिनियम एवं नियम शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार वनों और वृक्षों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में विवरण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखा जाता है।

*****